(95)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3237–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–4–2013 पारित द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 23/स्व.निग./2011–12.

—

1–डब्बू पुत्र बुद्धा पारधी
निवासी चक सिधपुरा चिरौली ग्वालियर
द्वारा मुख्त्यार आम सोनू मित्तल
पुत्र श्री विशम्भर दयाल
निवासी झांसी लूप रोड, मुरार ग्वालियर
2–मानसिंह पुत्र स्व0श्री फुच्चु सिंह पारधी,
निवासी ग्राम नौ गॉव तहसील व जिला ग्वालियर
द्वारा मुख्त्यार आम इंदरसिंह पुत्र श्री रघुवरसिंह कुशवाह
निवासी ग्राम गडरोली जिला ग्वालियर.

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–सत्य प्रकाश पुत्र बेताल सिंह
2–इंदरसिंह पुत्र शंकरसिंह
3–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0एन0त्यागी, पेनल अभिभाषक, अनावेदक कमांक 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/7/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 29–4–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नजूल अधिकारी ग्वालियर द्वारा कलेक्टर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण कमांक 4/67–68/अ–19 से सर्वे कमांक 761/1 रकबा 1.851 एवं सर्वे कमांक 761/3 रकबा 0.627 हेक्टेयर का पटटा फुच्चु को एवं सर्वे कमांक 761/4 रकबा 0.418 हेक्टेयंर का पटटा बुद्धा को दिया गया था जिसका अमल खसरा पंचशाला में किया गया । फुच्चु का नाम खसरों में फरारी खातेदार के रूप में दर्ज है । उक्त भूमि का विकय बिना कलेक्टर की अनुमति के अनावेदक कमांक 1 व 2 को किया गया है अतः पटटा निरस्त किया जाये । कलेक्टर द्वारा पटटा प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर दिनांक 29–4–13 को आदेश पारित करते हुये नामान्तरण पंजी कमांक 27 एवं 28 पर पारित आदेश दिनांक 8–3–2011 निरस्त करत हुये बंटन भी निरस्त किया गया और प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हे ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का पटटा वर्ष 1968 में दिया गया है जबकि स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही वर्ष 2012 में की गई है, अतः इतने अत्यधिक विलम्ब से स्वप्रेरणा से की गई निगरानी की कार्यवाही पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि का विकय अनावेदक कमांक 1 व 2 को नहीं किया गया है और उनके द्वारा फर्जी विकय पत्र तैयार किया गया है अतः ऐसी स्थिति में जब प्रश्नाधीन भूमि का विकय ही नहीं हुआ है तब पटटे की शर्तो का उल्लघंन होने का प्रश्न ही नहीं होता है और न ही कलेक्टर की अनुमति का प्रश्न विचारणीय है । तर्क में यह भी कहा गया किया धारा 165(7)(ख) के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का पटटा निरस्त कर भूमि शासकीय घोषित नहीं की जा सकती है, केवल विकय पत्र ही शून्य घोषित किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है । तर्क के समर्थन में 1991 आरएन 290, 2013 आरएन 8 एवं 1982 आरएन 417 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि प्रश्नाधीन भूमि का विकय बिना कलेक्टर की अनुमति के किया गया है अतः कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर नामान्तरण आदेश एवं पटटा निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का बंटन नियमानुसार नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि का विकय भी पटटेधारियों द्वारा बिना कलेक्टर की अनुमति के किया गया है, अतः कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं बंटन को निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये कलेक्टर का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 29–4–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.